संख्या– 85/प0अ0/2004–128 पर्य0/2002

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादूनःदिनांक 21 फरवरी जनवरी, 2004

विषय– वित्तीय वर्ष 2003–04 में टैक्सी स्टैण्ड डीडीहाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–183/प0अ0/2001–128 पर्य0/2001 दिनॉक 21 मार्च, 2002 एवं आपके पत्रांक–472/2–5–169/03 दिनॉक 21 जनवरी, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में टैक्सी स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रू0 13.57 लाख के विपरीत स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 7.57 लाख (रूपये सात लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इसके उपरांत योजना में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और धनराशि यदि 31–3–2004 तक अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–0417–उत्तरांचल में बस स्टेशन/पार्किंग स्थलों का चालू निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

11– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या– 2753/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 10 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–128 पर्य0/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
8– अध्यक्ष, नगर पंचायत, डीडीहाट, पिथौरागढ़।
9– वित्त अनुभाग–3।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।